रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 746] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 2005/आषाढ़ 24, 1927
No. 746] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 2005/ASADHA 24, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2005

का.आ. 1017(अ).—चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उप-धारा (3) एवं (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

1. (1) इस आदेश को चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2005 कहा जाएगा।

   (2) यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के पैराग्राफ 24 में "अथवा इस प्रकार के आदेश में संशोधन" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे अर्थात् :—

"अपील की प्राप्ति की तारीख से तीन महीनों की अवधि के भीतर"।

[फा. सं. टी-12014/2/2003-बागान(क)]

ए. सेनगुप्त, अपर सचिव

टिप्पणी : मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 1-1-2003 के का.आ. 1(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और बाद में इसमें 28 फरवरी, 2003 के का. आ. 247(अ), 10 अप्रैल, 2003 के का. आ. 430(अ), 27 फरवरी, 2004 के का. आ. 270(अ) और 20 अक्तूबर, 2004 के का. आ. 1170(अ) के द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 15th July, 2005

S.O. 1017(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (5) of Section 30 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the Tea (Marketing) Control Order, 2003, namely :—

1. (1) This Order may be called the Tea (Marketing) Control (Amendment) Order, 2005.

   (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Tea (Marketing) Control Order 2003, in paragraph 24, after the words "or modify such Order" the following words shall be inserted namely :—

"within a period of three months from the date of receipt of the appeal".

[F. No. T-12014/2/2003-Plant(A)]

A. SENGUPTA, Addl. Secy.

Note : The Principal notification was published *vide* S.O. 1(E), dated 1-1-2003 in the Gazette of India (Extraordinary) and subsequently amended *vide* S.O. 247(E), dated the 28th February, 2003, S.O. 430(E), dated 10th April, 2003, S.O. 270(E), dated 27th February, 2004 and S.O. 1170(E), dated 20th October, 2004.

2140 GI/2005

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.